"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010—वैशाख 10, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-29/2010/वाक/पांच (39).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (35) दिनांक 31-3-2010 के संबंध में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है :—

शुद्धिपत्र

उक्त अधिसूचना की हिन्दी प्रति के पंक्ति क्रमांक 2 में तथा अंग्रेजी प्रति के पंक्ति क्रमांक 1 में शब्द एवं अंक "धारा 10" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "धारा 4-क" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. यह संशोधन 01-04-2010 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 10-29/2010/वाक/पांच (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-29/2010/वाक/पांच (39), दिनांक 30-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 30th April 2010

NOTIFICATION

No. F 10-29/2010/CT/V (39).—The following corrigendum is being issued in respect of Notification No. F 10-29/2010/CT/V (35) dated 31-03-2010, issued by the State Government in exercise of the powers conferred by section 4-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) :—

CORRIGENDUM

In the second line of Hindi version and first line of English version of said notification the word and figure "section 10" the word and figure "section 4-A" shall be substituted.

2. This amendment shall be effect from 01-04-2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-44/2010/वाक/पांच (40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विक्रय कर सेवा श्रेणी-I तथा II भरती नियम, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

अनुसूची-चार में सरल क्र. 4 के कॉलम क्र. (2) के पश्चात् नया सरल क्र. 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

विभाग का नाम (1)	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है (2)	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है (3)	सेवा का अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम (5)
	5. वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	5 वर्ष	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 10-44/2010/वाक/पांच (40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-44/2010/वाक/पांच (40), दिनांक 30-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 30th April 2010

NOTIFICATION

No. F 10-44/2010/CT/V (40).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in Chhattisgarh Sales Tax Class-I & II Service Recruitment Rules,1966 with effect from the date of its publication in the official gazette, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

In Schedule-IV, after serial No. 4 of column No. (2), new serial No. 5 and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Name of the Department (1)	Name of the service or post from which promotion is to be made (2)	Name of the service or post to which promotion is to be made (3)	Work experience (4)	Name of the members of the Departmental Promotion Committee (5)
	5. Commercial Tax Inspector	Assistant Commercial Tax Officer	5 years	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.